राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2208/2024

रमेश वशिष्ठ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.07.2024

आदेश की दिनांक : 13.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 25.07.1996 के द्वारा हुई थी और

आदेश दिनांक 03.12.1997 के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा हुई तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे डीपीसी वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हिंदी व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 30.09.2014 के द्वारा पदोन्नत किया गया और वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध अपीलार्थी को व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर आदेश दिनांक 30.05.2015 के द्वारा पदोन्नति दी गई तथा उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भांकरी, जयपुर पदस्थापित किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 10.06.2015 को कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पुनः पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध व्याख्याता हिंदी के पद पर पदोन्नत किया जा चुका था। अपीलार्थी स्नात्कोत्तर हिंदी में वर्ष 1998 में योग्यता अर्जित कर चुका था और स्नात्कोत्तर अंग्रेजी में भी वर्ष 2002 में प्राप्त कर चुका था और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 1997–98 की वरिष्ठता सूची पर अंग्रेजी विषय की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 3660 पर अंकित किया गया और वर्ष 2013–14 के विरूद्ध अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर चयन वर्ष दर्शाया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रधानाचार्य पद के लिये पात्रता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं दर्शाया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को ई–मेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज की, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1078/2023 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को उसका निस्तारण करने का आदेश दिया और विभाग द्वारा दिनांक 07.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया, जिसमें यह स्वीकार किया कि अपीलार्थी को पुनः अंग्रेजी व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और उक्त अंग्रेजी व्याख्याता के पद की पदोन्नति निरस्त किये जाने का कथन किया, परंतु पदोन्नति निरस्त किये जाने का कोई आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया और वर्ष 2015 से निरंतर व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर विभाग अपीलार्थी से सेवायें ले रहा है तथा वेतन आदि का भुगतान भी कर रहा है। परंतु अंग्रेजी व्याख्याता के पद पर

पदोन्नत निरस्त नहीं किये जाने के संबंध में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि आदेश दिनांक 07.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि उसकी वरिष्ठता व्याख्याता हिंदी के पद पर चयन वर्ष 2012–13 से गणना की जावे तथा तदुपरांत उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा स्नात्कोत्तर योग्यता वर्ष 1999 हिंदी एवं वर्ष 2002 अंग्रेजी अर्जित की गई, जो दर्ज है और योग्यता के आधार पर प्राध्यापक हिंदी पर पुरूष वर्ग की चयन वर्ष 2001–02 से 2012–13 तक चयन हेतु डीपीसी आयोजित की गई और चयन वर्ष 2012–13 के विरूद्ध अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई, परंतु स्थायी वरिष्ठता सूची में दर्ज वरिष्ठता क्रमांक 2850 के आधार पर सहवन से इनका प्राध्यापक अंग्रेजी की चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के प्रति त्रुटिपूर्ण चयन हो गया और नियमानुसार पूर्व से पदोन्नति प्राप्त कार्मिक को पुनः डीपीसी के माध्यम से चयनित किया जाना नियम संगत नहीं है। अपीलार्थी से अपेक्षित था कि वह विभाग के प्रसंज्ञान में इस तथ्य को लाता कि वह पूर्व से पदोन्नत पद पर कार्यरत है, परंतु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नहीं करते हुये पूर्व से पदोन्नत पद पर कार्यरत रहते हुये पुनः पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण किया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 25.07.1996 के द्वारा हुई थी और आदेश दिनांक 03.12.1997 के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा हुई तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे

डीपीसी वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हिंदी व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 30.09.2014 के द्वारा पदोन्नत किया गया और वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को उसकी वरिष्ठता व्याख्याता हिंदी के पद पर चयन वर्ष 2012–13 से गणना करने तथा तदुपरांत उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.09.2014 के द्वारा डीपीसी वर्ष 2012–13 के विरूद्ध व्याख्याता हिंदी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु यह भी सही है कि अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर सहवन से पुनः पदोन्नति प्रदान कर दी गई, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त त्रुटि को उनके द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में स्वीकारा गया है। नियमानुसार अपीलार्थी एक ही पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है और सबसे पहले अपीलार्थी को व्याख्याता हिंदी के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जो नियमानुसार की गई, परंतु अपीलार्थी द्वारा उक्त मामले के संबंध में अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1078/2023 प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2023 जारी करते हुये अपीलार्थी को उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को उसका निस्तारण करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य कार्यालय आदेश दिनांक 07.12.2023 नियम एवं विधि अनुसार जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है। चूंकि उक्त आदेश में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर उचित मानते हुये अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज किया गया है। जबकि अपीलार्थी की सबसे पहले व्याख्याता हिंदी के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति की गई, जो नियमानुसार की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को पुनः रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर पदोन्नत किया जाना नियम विरूद्ध प्रकट होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2023 को अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग द्वारा डीपीसी के माध्यम से अपीलार्थी

की व्याख्याता हिंदी के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध की गई पदोन्नति को सही मानते हुये एवं पदोन्नति दिनांक से उसकी वरिष्ठता की गणना की जावे और यदि अपीलार्थी अग्रिम पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर नियमानुसार योग्य पाया जाता है तो उसके नाम पर विचार किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष